झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं. 1226 / 2023

विनय कुमार सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, द्वारा- ओमप्रकाश सिंह, निवासी जीटी लेन, बिसरा रोड, राउरकेला, सुदरगढ़, डाकघर और थाना: बिसरा, जिला- राउरकेला, ओडिशा . .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. नीरज कुमार चौधरी @ नीरज कुमार चौधरी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- राधा नाथ चौधरी, निवासी तहसील- महिषी, डाक घर और थाना - महिषी, सहरसा, जिला- सहरसा, बिहार और दैनिक जागरण लिमिटेड में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत, जागरण प्रकाशन लिमिटेड सी-33, फेज- 1, आदित्यपुर, औद्योगिक क्षेत्र, डाकघर और थाना - आदित्यपुर, जिला: सरायकेला- खरसावां, झारखंड.

.... उत्तरदाताओ

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री विशाल कुमार त्रिवेदी, अधिवक्ता
		श्री जय मोहन मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री शैलेश कुमार सिन्हा, अतिरिक्त पीपी
उत्तरदाता सं. 2 के लिए	:	श्री रिशु रंजन, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

अदालत द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 409 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज आर.आई.टी वाद सं. 125/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, सेराइकेलाके समक्ष लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और उत्तरदाता सं.2 के विद्वान वकील ने संयुक्त रूप से इस न्यायालय का ध्यान अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 5811/2023 की ओर आकर्षित किया, जो याचिकाकर्ता और उत्तरदाता सं. 2/मुखबिर के अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दैनिक जागरण की स्थापना के शुभचिंतकों और कुछ पुराने कर्मचारियों के इशारे पर, पक्षकारों के बीच मामले में समझौता किया गया है और याचिकाकर्ता ने उक्त दैनिक जागरण संगठन को 1,10,000/- रुपये का भुगतान किया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पार्टियों के बीच विवाद मूल रूप से एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है और कुछ गलतफहमी के कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ यह झूठा मामला स्थापित किया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि समझौते के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. आई. टी . थाना वाद सं. 125/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, सेराइकेला के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

4. विद्वान अतिरिक्त पी.पी. राज्य के लिए उपस्थित होने से यह प्रस्तुत होता है कि पार्टियों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को आर. आई. टी . थानावाद सं. 125/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही

को रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है, जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, सरायकेला के समक्ष लंबित है।

5. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि **परबतभाई अहीर @ परबतभाई भीमसिंहभाई करमुर और अन्य बनाम गुजरात राज्य** और **(2017) 9 एससीसी 641** में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर *विचार करने का* अवसर मिला था। पक्षकारों के बीच समझौते का आधार पर और अनुच्छेद सं. 11 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> *"11. धारा 482 एक अधिभावी प्रावधान के साथ प्रस्तुत की गई है। क़ानून उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, एक उच्चतर न्यायालय के रूप में, ऐसे आदेश देने के लिए जो आवश्यक हैं (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) अन्यथा न्याय के सिरों को सुरक्षित करने के लिए। ज्ञान सिंह [ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2012) 10 एससीसी 303: (2012) 4 एससीसी (सिविल) 1188: (2013) 1 एससीसी (आपराधिक) 160: (2012) 2 एससीसी (एल एंड एस) 988] में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर मिसाल के शरीर के लिए विज्ञापन दिया और मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए, जिन्हें उच्च न्यायालय अधिकार-क्षेत्र को यह निर्धारित करने में विचार करना चाहिए कि क्या निहित के अभ्यास में प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करना है। उच्च न्यायालय के साथ जिन विचारों का वजन होना चाहिए, वे हैं: (एससीसी पीपी 342-43, अनुच्छेद 61)*
>
> > *"61. ... अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही या प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत को रद्द करने में उच्च न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 320 के तहत अपराधों को संयोजित करने के लिए एक आपराधिक अदालत को*

दी गई शक्ति से विशिष्ट और अलग है। अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिक सीमा के व्यापक रूप से प्रफुल्लित होती है, लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों के जघन्य और गंभीर अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध प्रकृति में निजी नहीं हैं और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच कोई समझौता या उस क्षमता में काम करते समय लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराध, आदि; ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारी और मुख्य रूप से सिविल स्वाद वाले आपराधिक मामले रद्द करने के प्रयोजनों के लिए एक अलग पायदान पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, वाणिज्य, नागरिक, साझेदारी या इस तरह के लेनदेन या दहेज से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध, आदि या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी

<u>या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पार्टियों ने अपने पूरे विवाद को हल कर लिया है।</u> इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले जारी रहने से अभियुक्त को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पूर्ण और पूर्ण निपटान के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा और पीड़ित के साथ समझौता करते हैं। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही जारी रखना अनुचित या न्याय के हित के विपरीत होगा या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना पीड़ित और गलत करने वाले के बीच समझौते और समझौते के बावजूद कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगा और क्या न्याय के सिरों को सुरक्षित करना है, यह उचित है कि आपराधिक मामले को समाप्त कर दिया जाए और यदि उपरोक्त प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अच्छी तरह से होगा। (महत्त्व सन्निविष्ट)

6. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध जघन्य अपराध नहीं हैं और न ही इस मामले में मानसिक भ्रष्टता का गंभीर अपराध शामिल है, बल्कि यह पक्षों के बीच निजी विवाद से संबंधित है।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण निपटान के कारण, याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले की निरंतरता याचिकाकर्ता को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह में डाल देगी और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण निपटान और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि यह एक उपयुक्त मामला है जहां आर. आई. टी . थाना वाद सं. 125/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ-साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, सेराइकेला के समक्ष लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई थी, को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

9. तदनुसार, आर. आई. टी . थाना वाद सं. 125/2021 के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान अनुमंडल न्यायिक अधिकारी, सरायकेला के समक्ष लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता के खिलाफ अलग रखा जाता है।

10. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति दी जाती है।

11. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान के मद्देनजर, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 5811/2023 तदनुसार निपटाया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाo.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
5 जनवरी, 2024 को दिनांकित किया
ए. एफ. आर./अनिमेश

<u>यह अनुवाद (तलत परवीन), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया</u>।